प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनाँक 19.03.2026

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने तथा मारपीट करने, जाति सूचक गाली व धमकी देने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में ***थाना बखिरा पुलिस*** द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 19.03.2026 को थाना बखिरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 84/2026 धारा 64(2)M, 115(2), 352 बीएनएस व 5(L)/6 पाक्सो एक्ट व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)V, 3(2)Va एससी एसटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त मनोज निषाद पुत्र लक्ष्मन निषाद निवासी उजरौटी कला थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 18.03.2026 को थाना बखिरा पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी के साथ शादी का झांसा देकर बार बार दुष्कर्म करने व जातिसूचक गाली देने व मारने पीटने के मामले में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बखिरा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री ओमप्रकाश सिंह, का0 अमित कुमार यादव, का0 अनूप यादव ।

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस* द्वारा वारण्टी नाम पता रईश पुत्र शेर अली निवासी ग्राम डडवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रामजतन प्रजापति, हे0का0 दीपचन्द राजभर।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता जोगिन्दर चौहान पुत्र राममिलन चौहान निवासी सोनाड़ी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री रामकेवल भारती, हे0का0 प्रमोद कुमार राय।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 08 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 198 वाहनों से 1,81,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 19.03.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 198 वाहनों से 1,81,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करेत हुए झाड़ फूक के नाम पर वेईमानी से छल कर महिला का आभूषण हड़पने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित अभियुक्त क गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में ***थाना मेंहदावल पुलिस*** द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 19.03.2026 को थाना बखिरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 91/2026 धारा 61(2)/318(4)/352/351(3),317(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त करमतुल्ला उर्फ अली खान पुत्र मुर्तजा निवासी जगदौर थाना सिन्दुरिया जनपद महराजगंज को 10 ग्राम पीली धातु का आभूषण, 1160 ग्राम सफेद धातु आभूषण व 1,03,000 रु0 के साथ नौलखा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 17.03.2026 को थाना मेंहदावल पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी के साथ झाड़ फूक के नाम पर छल कर आभूषण हड़पने व जान से मारने के मामले में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

बरामदगी-
10 ग्राम पीली धातु
1160 ग्राम सफेद धातु
1,03,000 लाख रुपये बरामद

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री मो0 एखलाक खान, का0 अमेरिका प्रसाद, हे0का0 मोतीलाल, का0 अंकेश यादव, का0 अमेरिका प्रसाद।

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत थाना बेलहरकला के साइबर सेल द्वारा साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को शत प्रतिशत की धनराशि कराई गयी वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में ***क्रैक साइबर क्राइम अभियान*** के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने के क्रम में साइबर सेल थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर द्वारा सतत प्रभावी कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को 50,000 रुपये की शत प्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में वापस कराई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व.बृजनंदन श्रीवास्तव निवासी जंगल दशहर थाना बेलहर कला जनपद संतकबीरनगर वादी के व्हाट्सएप पर योनो एसबीआई के नाम से एपीके फाइल आया आवेदक जैसे इस फाइल पर क्लिक किया उसके कुछ देर बाद उसके खाते से 50000 रूपये ट्रांसफर हो गया था। तत्पश्चात् वादी द्वारा साइबल हेल्प लाइन नं0 1930 व साइबर सेल थाना बेलहरकला पर शिकायत दर्ज किया गया। जिसके उपरान्त तत्काल कार्यवाही करते हुए 50000 रूपये वादी के खाते में वापस करा दिया गया।

बरामदगी टीम- प्रभारी निरीक्षक श्री अनिल कुमार, उ0नि0 श्री नन्दा प्रसाद, का0 दीनानाथ, का0 शैलेश यादव, म0का0 वैष्णवी शुक्ला।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आम जनमानस से अपील करती है कि:-
•किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर किसी अज्ञात खाते में पैसा ट्रांसफर न करें।
•बैंक अधिकारी बनकर आने वाले संदिग्ध कॉल / मैसेज पर विश्वास न करें।
•किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन साझा न करें, सावधानी ही सुरक्षा है।
•साइबर धोखाधड़ी होने पर तुरंत 1930 नंबर पर कॉल करें या नजदीकी थाने के साइबर सेल को सूचित करें।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप पाक्सो एक्ट के अपराध में 03 अभियुक्तो को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 6000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कनविक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 19.03.2026 को माननीय न्यायालय एएसजे/एसपीजे/ पाक्सो एक्ट जनपद संतकबीरनगर के न्यायाधीश द्वारा 03 अभियुक्तो को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 6000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादिनी मुकदमा द्वारा थाना महुली पर बावत अभियुक्तगण 01- सुभाष चन्द गौड़ पुत्र राममूरत 02 दीपक पुत्र सुभाष चन्द निवासीगण कलान 03 पिन्टू उर्फ विद्या प्रसाद गौड़ पुत्र मिठाई लाल निवासी गायघाट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादिनी का दिवाल गिराने व वादिनी की नाबालिग पुत्री व परिवारजन के साथ मार पीट, गाली गलौज किया गया तथा मना करने अपशब्द बोलने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना महुली पर अभियोग पंजीकृत कर क्षेत्राधिकारी श्री प्रमोद कुमार द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 1076/2016 धारा 354क,323,504,506,427,336 भादवि व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट तथा 3(1)w(i) एससी/एसटी एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण सुभाष चन्द गौड़ पुत्र राममूरत, दीपक पुत्र सुभाष चन्द निवासीगण कलान, पिन्टू उर्फ विद्या प्रसाद गौड़ पुत्र मिठाई लाल जनपद संतकबीरनगर को धारा 504,506,336 भादवि एवं धारा 3(1)w(i) एससी/एसटी एक्ट के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

अभियुक्त सुभाष चन्द गौड़- को अन्तर्गत धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 323 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा। धारा 427 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्त दीपक- को अन्तर्गत धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 323 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा। धारा 427 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्त पिन्टू उर्फ विद्या प्रसाद गौड़- को अन्तर्गत धारा 7/8 पाक्सो एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 323 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास भुगतना होगा। धारा 427 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा।